

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर,  
उन सभी से जिनका इससे संबंध है, अनुरोध एवं अपेक्षा की  
जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप  
से आने-जाने दें और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा  
प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।


THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME  
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE  
TO WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS  
FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM  
OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE  
OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से  
BY ORDER OF  
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA



*Ravi Kousuri*  
श्री कोसुरी  
RAVI KOUSURI  
भारत गणराज्य अधिकारी  
Regional Passport Officer  
अधीन प्रशासित कार्यालय  
Regional Passport Office  
हदराबाद/HYDERABAD

भारत गणराज्य  
REPUBLIC OF INDIA



सत्यमेव जयते  
पासपोर्ट  
PASSPORT


श्री संकेत ३ २७ एच ३। This Passport contains ३७ pages.





34

वीजा / VISA



U7471026

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

**KRISHNA PEDDAPALLI**

माता का नाम / Name of Mother

**SRAVANTHI PEDDAPALLI**

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

**1-75/4/17/8, SAIMARUTHI NAGAR**

**BODUPPAL, MEDCHAL**

**PIN: 500092, TELANGANA, INDIA**

पुराने पासपोर्ट का न. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue


फाइल न / File No.

**HY1063086891720**



INDIAN PASSPORT

भारतीय विसा/पोस्ट



पर्यटन / OBSERVATION

पंजीकरण  
निर्देशों में रहते यात्रे भारतीय नागरिकों को सजावट दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय विसा/पोस्ट में अपना पंजीकरण कराया।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की बात भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का धारकता या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट भुंग होने, कोरी होने अथवा नष्ट होने पर उसकी सूचना भारत में निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक निर्देश में है तो निकटतम भारतीय विसा/पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विरुद्ध भूखंड के बाद ही कुलीयित पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

#### REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

#### CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.